जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी0सी0ए0 केस सं0–17/2020–21(तड़ीपार)
राज्य –बनाम–राजा शर्मा

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांकः–733/डी0सी0बी0, दिनांकः–30.06.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अपराधकर्मी राजा शर्मा, पे0–संजीव शर्मा, पता–शिव मंदिर रोड, उलीडीह, थाना–उलीडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के विरूद्ध यह वाद झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(3)(a) के तहत् प्रारंभ की गई थी एवं सुनवाई के उपरांत दिनांकः–24.03.2021 को पारित आदेश द्वारा संबंधित अपराधकर्मी को दिनांकः–01.04.2021 से अगले छः माह अर्थात दिनांकः–30.09.2021 तक की अवधि के लिए इस जिले से निष्कासित किया गया था। पुनः वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ने अपने पत्रांकः–1176/डी0सी0बी0, दिनांकः–21.09.2021 द्वारा संबंधित अपराधकर्मी के विरूद्ध जिला निष्कासन (तड़ीपार) की अवधि को इस आधार पर विस्तारित करने का अनुरोध किया है कि अपराधकर्मी राजा शर्मा, पे0 संजीव शर्मा एक पेशेवर एवं शातीर कुख्यात अपराधकर्मी है, जिसके अपराधिक गतिविधि के कारण यहाँ की लोक–व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। इसने इसके थाना क्षेत्र में अपने नाम का आतंक फैला रखा है। कुख्यात अपरधकर्मी राजा शर्मा आदतन अपराध करने का आदि है तथा जेल से बाहर रहने पर पुनः सकिय हो जाता है, जिससे थाना क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था पर काफी प्रतिकुल असर पड़ता है। इसके भय एवं दहशत से इसके विरूद्ध कोई भी थाना में सनहा दर्ज कराने का प्रयास नहीं कर पाता। चूँकि ये पेशेवर एवं कुख्यात अपराधकर्मी है, इसके शहर में मौजूद रहने से विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। इस अपराधकर्मी पर निम्नांकित काण्ड दर्ज है– कुख्यात अपराधकर्मी राजा शर्मा, पे0–संजीव शर्मा, पता–शिव मंदिर रोड, उलीडीह, थाना–उलीडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के विरूद्ध निम्नलिखित कांड/सनहा दर्ज हैं। 1. मानगो (उलीडीह) थाना कांड सं0–484/14, दिनांक–31.08.2014, धारा–341/323/307/379/504/506/34 भा0द0वि0 2. मानगो (उलीडीह) कांड संख्या–04/15 दि0–04.01.2015 धारा–147/148/148/149/337/302 भा0द0वि0 3. मानगो (उलीडीह) थाना कांड संख्या–69/16, दिनांक–26.02.2016, धारा–341/323/307/379/337/307/34 भा0द0वि0 4. सोनारी थाना कांड संख्या–06/19, दिनांक–07.01.2019, धारा–364/307/ 323/34/120बी0 भा0द0वि0 एवं सनहा दर्ज है। उल्लेखनीय है कि कुख्यात अपराधकर्मी राजा शर्मा, पिता– संजीव शर्मा, पता–शिव मंदिर रोड, उलीडीह, थाना–उलीडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर थाना क्षेत्रों में अपने नाम का आतंक फैला रखा है । कुख्यात अपराधकर्मी राजा शर्मा, आदतन अपराध करने का आदि है तथा जेल से बाहर रहने पर पुनः सक्रिय हो जाता है, जिससे थाना क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था पर काफी प्रतिकुल असर पड़ता है । इसके भय एवं दहशत से इसके विरुद्ध कोई भी थाना में सनहा तक दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाता । चूंकि ये पेशेवर एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। इसके शहर में मौजूद रहने से विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न	

होने की प्रबल संभावना है। इसके अपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित रखने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाबदर/तड़ीपार करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा, जो की थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–5 के तहत कुख्यात राजा शर्मा, पे0–संजीव शर्मा, पता–शिव मंदिर रोड, उलीडीह, थाना–उलीडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के तड़ीपार (जिला निष्कासन) की अवधि अगले छः महिना तक अर्थात दिनांक–**01.10.2021 से 31.03.2022** तक के लिए विस्तारित की जाती है।

झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा–7 (1)(b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0–25,000.00 का बंधपत्र (with two surety) दिनांक– 08.10.2021 को दाखिल करेंगे कि वे दिनांक–01.10.2021 से अगले छः महिना अर्थात दिनांक–31.03.2022 तक पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण 2002 (अंगीकृत) धारा–7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी जाफर अली झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय में आवेदन समर्पित कर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

विपक्षी राजा शर्मा, पे0–संजीव शर्मा, पता–शिव मंदिर रोड, उलीडीह, थाना–उलीडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को उपरोक्त आदेश के अनुपालन में बंधपत्र भरने की तिथि को पूर्वी सिंहभूम जिला में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश की प्रति राजा शर्मा, पे0–संजीव शर्मा, पता–शिव मंदिर रोड, उलीडीह, थाना–उलीडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर तथा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजा जाय। साथ ही इस आदेश की प्रति आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ भेजा जाय।

(लेखापित)

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक–1315 (B) विधि, दिनांक–28-09/2021

प्रतिलिपि–राजा शर्मा, पे0–संजीव शर्मा, पता–शिव मंदिर रोड, उलीडीह, थाना–उलीडीह, जिला–पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को एतद् संबंधी सूचना से अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि–आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2023.01.24 18:56:39 +05:30
Location: 192.168.1.21